

परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय शिक्षण
संस्थान

कक्षा – ग्यारहवीं

हिन्दी कोर

विषय- परिपत्र

परिपत्र

- परिपत्र सरकारी पत्राचार का ही एक प्रकार है। सरकार के कामकाज में इसका भी प्रयोग होता है। जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभागों अथवा कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है तब वह परिपत्र कहलाता है। जब विषय एक हो, प्रेषक एक हो लेकिन पाने वाले अनेक हो तब सरकारी पत्र ही परिपत्र बन जाते हैं। एक ही आदेश अथवा सूचना का सम्बंध जब सरकार के कई विभागों से रहता है तब एक परिपत्र तैयार करके सभी को भेज दिया जाता है।
- परिपत्र का प्रारूप और रचना शैली सरकारी पत्र जैसी होती है। दोनों में अनेक समानताएं होती हैं। अंतर केवल इतना है कि परिपत्र हमेशा ऊपर के विभागों से नीचे के विभागों को भेजे जाते हैं। जबकि सरकारी पत्र ऊपर से नीचे अथवा नीचे से ऊपर भेजे जाते हैं। दूसरा अंतर यह है कि परिपत्र कभी एक व्यक्ति को नहीं भेजा जाता है। यह एक साथ अनेक लोगों को भेजा है।
- परिपत्र की अन्य विशेषताएं सरकारी पत्र की तरह होती हैं।

12. परिपत्र (Circular)

इसे गश्ती चिट्ठी भी कहते हैं। यह सरकारी पत्राचार का कोई स्वतंत्र रूप नहीं है बल्कि इसका रूप-रंग या तो सरकारी पत्र के समान होता है या फिर ज्ञापन के समान। वस्तुतः जब कोई एक ही सूचना, आदेश, अनुदेश कई मंत्रालयों, विभागीय कार्यालयों एवं मातहत या संबद्ध विभागों को भेजना होता है तब उसे अलग-अलग सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन/पृष्ठांकन/द्रुत पत्र आदि के रूप में न भेजकर परिपत्र के रूप में भेजा जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब किसी पत्राचार की विषयवस्तु एक होती है, प्रेषक भी एक ही होता है किन्तु प्रेषिती अलग-अलग होते हैं तब वह परिपत्र का रूप ले लेता है।

परिपत्र

परिपत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए-

- परिपत्र में सरकारी विभाग का नाम, पता, पत्र संख्या एवं दिनांक आदि सरकारी पत्र के अनुसार लिखा जाना चाहिए।
- इसके पश्चात शीर्षक के रूप में परिपत्र लिखें और इसके बाद विषय लिखा जाना चाहिए।
- विषयवस्तु
- पत्र समाप्ति पर प्रेषक के हस्ताक्षर, पदनाम लिखा जाना चाहिए।
- प्रतिलिपि – जिन सम्बन्धित विभागों को परिपत्र भेजा गया है, उनका नाम।
- इसका प्रेषक एक व्यक्ति होता है और प्रापक अनेक होते हैं।
- परिपत्र का कलेवर सरकारी पत्र की तरह होता है।

परिपत्र का प्रारूप

भारत सरकार खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय, नई दिल्ली
पत्र संख्या खा.आ.म./2019-20

दिनांक

परिपत्र

समस्त राज्य सरकारें

विषय- खाद्यान्नों की वसूली के संदर्भ में।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस समय देश में खाद्यान्नों की बहुत कमी है। सूखे के कारण कई राज्यों में फसलें बर्बाद हो गई हैं। इस आपदा से निपटने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अन्न-बहुल राज्यों की सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्यों में खाद्यान्नों की वसूली की जाए। प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित खाद्यान्नों की मात्रा तथा उनके मूल्य आदि के बारे में विस्तृत सूचना शीघ्र भेज दी जाएगी।

राज्य सरकारें इस सम्बंध में जो कार्यवाही करें उनका तथा खाद्यान्न वसूली की प्रगति का साप्ताहिक विवरण इस मंत्रालय को भेजते रहें।

हस्ताक्षर

सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय , नई दिल्ली

भारत सरकार

प्रतिलिपि-

समस्त राज्य सरकारें

राजस्थान सरकार
राजस्व (गुप-6) विभाग

क्रमांक प० 1 (3) राज-6/11/वाह/17

जयपुर, दिनांक 20/03/2020

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. समस्त भूमि अवाप्ति अधिकारी।

परिपत्र

विषय— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(3) राज-6/2011/7 दिनांक 11.3.2014 द्वारा निरसित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अर्जन की प्रजलित कार्यवाही के संबंध में आगामी कार्यवाही के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24 में की गई व्यवस्था के संबंध स्थिति स्पष्ट की गई थी।


अधिनियम, 2013 की धारा 24 सही विवेचना के लिए पांच जजों की बैंच को रेफर किये गये प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल.पी (सी) संख्या 9036-9038/2016 इन्दोर डेवलेपमेंट ऐथोरिटी बनाम मनोहरलाल व अन्य में पांच जजों की बैंच ने दिनांक 6.3.2020 द्वारा निर्णय पारित किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय https://main.sci.gov.in/supremecourt/2016/8700/8700_2016_3_1501_21394_Judgement_06-Mar-2020.pdf पर उपलब्ध है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 24 की व्याख्या के संबंध में बिंदु निर्धारित कर निम्नानुसार निर्णित किया है:—

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
-------------	--------	-------


क्रमशः

अतः विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 11.3.2014 के आशिक संशोधन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 24 के प्रावधानों की गई उपरोक्त व्याख्या अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।


(कमल क. बाबुसानी)
शासन उप सचिव
20-3-20

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. समस्त संभागीय आयुक्त


शासन उप सचिव
20-3-20

धन्यवाद